



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय :
५२४३, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्यानपुर, कानपुर - २०६ ०१७
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
REGIONAL OFFICE :

5243, Sadbhawna Nagar, Awasth Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208 017

संदर्भ

592/2510-71/18

दिनांक

26/04/18

सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी,
फर्रुखाबाद।

विषय:- मै० हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, 85/4, इस्पात भवन, तृतीय मंजिल, संजय प्लेस आगरा द्वारा खसरा नं०-634मि० स्थित ग्राम-भूलनपुर चिरपुरा, तहसील-सदर, फर्रुखाबाद पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की सुविधा स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त जिला पूर्ति अधिकारी, फर्रुखाबाद के पत्र संख्या 1959/जे०ए०-बीस-वि(अ०प्र०पत्र-17) दिनांक 24.04.2018 के साथ संलग्न मै० हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, 85/4, इस्पात भवन, तृतीय मंजिल, संजय प्लेस आगरा द्वारा खसरा नं०-634मि० स्थित ग्राम-भूलनपुर चिरपुरा, तहसील-सदर, फर्रुखाबाद पर रिटेल आउटलेट की सुविधा स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु जाँच आख्या एवं अनुमोदित साईट प्लान प्रेषित करने के सम्बन्ध में नील पत्र जो इस कार्यालय में दिनांक 26.04.2018 को प्राप्त हुआ है। नील पत्र पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ आपत्ति नहीं है।

1. भारत सरकार पेट्रोलियम एण्ड एक्सप्लोसिव सेफ्टी आर्गनाइजेशन (पैसा) आगरा द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. अग्नि शमन विभाग, फर्रुखाबाद द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. मै० हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, 85/4, संजय प्लेस आगरा द्वारा ग्रामसभा-अलावलपुर, तहसील-सदर, फर्रुखाबाद पर पेट्रोल पम्प स्थापना हेतु जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. प्रस्तावित डी०जी० सेट पर बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ध्वनि एवं वायु उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

26/04/2018

RAKESH GUPTA

Dy. General Manager-Retail
and Duty Constituted Attorney of
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
(A Govt. of India Enterprise)